भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *213
उत्तर देने की तारीख 15.12.2025

प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (पीएमएमएल) से महत्वपूर्ण पत्रों का गायब होना

***213. डॉ. संबित पात्रा :**

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (पीएमएमएल) ने संग्रहालय में उपलब्ध दस्तावेजों की वार्षिक संपरीक्षा करने के लिए कोई नीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2025 में प्रधान मंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (पीएमएमएल) के वार्षिक निरीक्षण के दौरान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कतिपय दस्तावेज संग्रहालय से गायब पाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त दस्तावेजों को प्रधान मंत्री संग्रहालय से अनुचित और अवैध रूप से हटाया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नियमों के अनुसार उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ड.) क्या वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (पीएमएमएल) की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित दस्तावेजों की अनुपलब्धता के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ड.) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (पीएमएमएल) से महत्वपूर्ण पत्रों का गायब होना' के संबंध में दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 को माननीय संसद सदस्य श्री डॉ. संबित पात्रा द्वारा पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *213 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी नहीं, प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (पीएमएमएल) में दस्तावेजों की वार्षिक लेखापरीक्षा नहीं की जाती है।

(ख): वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (पीएमएमएल) के वार्षिक निरीक्षण के दौरान संग्रहालय से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कोई दस्तावेज गायब नहीं पाया गया है।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठता।

(ड.): वर्ष 2025 में पीएमएमएल की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित दस्तावेजों की अनुपलब्धता के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*****